सी. ए. पी. और अन्य के लिए समिति

बनाम

अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य

(लिखित याचिका (सिविल) संख्या 510/2007)

सितंबर 17, 2015

[अनिल आर. दवे और आदर्श कुमार गोयल, जे.जे.]

नागरिकता का अधिकार- धारा 5(1)(ए)- चकमाओं और हाजोंगों के नागरिकता अधिकार देने की मांग करते हुए दायर की गई रिट याचिका- हाजोंग व चकमा 1964-69 में भारत चले आए और अरुणाचल प्रदेश में बए गए। इस प्रकार-यह स्वीकार किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान करने के संबंध में अपनाई जा रही प्रक्रिया के आधार पर चकमाओं को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायिक निणर्यों के आधार पर यह है कि उन्हें किसी इनर लाइन परमिट की आपश्यकता नहीं क्योंकि वे अरुणाचल प्रदेश में बस गए। इस प्रकार भारत सरकार व अरुणाचल प्रदेश राज्य को निर्देश दिया जाता है कि ये चकमा व हाजोंग के नागरिकता अधिकार को अंतिम रूप से निस्तारण करे और न्यायिक निणर्यों में वर्णित उनके जीवन की सुरक्षा स्वतंत्रता की रक्षा में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करें।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम राज्य अरुणाचल प्रदेश 1996 (1) एस. सी. आर. 278: 1996 (1) एस. सी. सी. 742; संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन (एएपीएसयू) बनाम भारत का चुनाव आयोग 2010 की पी. आई. एल. संख्या 52 दिनांक 19 मार्च 2013 द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयय पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल स्वतंत्रता बनाम भारत का चुनाव आयोग और अन्य 2000 का डब्ल्यू. पी. संख्या 886 दिनांक 28 सितंबर 2000 दिल्ली उच्च न्यायालय द्वाराय अरुणाचल राज्य प्रदेश बनाम खुदीराम चकमा 1993 (3) एससीआर 401: (1994) 1 एस. सी. सी. 615- संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

1996(1) एससीआर 278	संदर्भित किया गया।	पैरा 2
1993(3) एससीआर 401	संदर्भित किया गया।	पैरा 17

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका(सिविल) सं. 510/2007

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

कॉलिन गोंजाल्विस, संजय कुमार विसेन, नितेश कुमार सिंह, नेहा, अपीलार्थियों के लिए।

पी. एस. पटवालिया, एएसजी, साधना संधू, तुषार बख्शी,(सुषमा सूरी के लिए), अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज विश्वास, अनीता शेनॉय उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायधीश आदर्श कुमार गोयल,जे.द्वारा दिया गया :-

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह याचिका मुख्य रूप से चकमा और हाजोंग आदिवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय के माध्यम से भारत संघ के खिलाफ निर्देश देने की मांग करती है, जो 1964.1969 में भारत चले आए और अरुणाचल प्रदेश राज्य में बस गए ।

2. याचिकाकर्ता नंबर 1 ने खुद को "अरुणाचल प्रदेश के चकमाओं के नागरिकता अधिकारों के लिए समिति" ("सीसीआरसी") के रूप में वर्णित किया है। याचिका में दिए गए कथनों के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश राज्य में चकमा और हाजोंगों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ("एनएचआरसी") के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया गया था। एनएचआरसी ने 1995 की रिट याचिका (सी) संख्या 720, जिसका शीर्षक "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य" है, के माध्यम से इस न्यायालय से यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगा कि चकमा और हाजोंगों को अरुणाचल प्रदेश से जबरन बेदखल न किया जाए। जिसका निपटान 9 जनवरी, 1996 को किया गया था[(1996) 1 scc 742]। उक्त मामले में, भारत संघ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और कहा कि चकमाओं को अरुणाचल प्रदेश राज्य में बसाने का

निर्णय भारत सरकार और उत्तर.पूर्व फ्रंटियर एजेंसी ("एनईएफए") प्रशासन के बीच चर्चा के बाद लिया गया था। (अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्ववर्ती)। चकमा तीन दशकों से अधिक समय से अरुणाचल प्रदेश राज्य में रह रहे थे और उनके बीच घनिष्ठ सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक संबंध थे। फरवरी, 1972 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों द्वारा जारी संयुक्त बयान के अनुसारए केंद्र सरकार ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(ए) के तहत चकमाओं को नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के इस संबंध में आरक्षण था। केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों की वास्तविक शिकायतों के निवारण के साथ-साथ नागरिकता देने के मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकारए चकमा और सभी संबंधित लोगों के बीच बातचीत के पक्ष में थी। अरुणाचल प्रदेश राज्य का रुख यह था कि उसने चकमाओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान की थीं, लेकिन राज्य को चकमाओं को राज्य छोड़ने के लिए कहने का अधिकार था। राज्य बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में बसने की अनुमति नहीं दे सकता था क्योंकि उसके पास सीमित संसाधन थे और भारत संघ ने अपनी जिम्मेदारी साझा करने से इनकार कर दिया था। क्षेत्र के उपायुक्त को उचित जांच के बाद नागरिकता के लिए आवेदन अग्रेषित करना था लेकिन ऐसा कोई आवेदन लंबित नहीं था। राज्य का आगे का रुख यह था कि चकमाओं का समझौता इसके जातीय संतुलन को बिगाड़ देगा और इसकी संस्कृति

और पहचान को नष्ट कर देगा। राज्य के आदिवासी चकमाओं को अपनी परंपरा और संस्कृति के लिए संभावित खतरा मानते हैं।

3. इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार किया और माना कि चकमाओं को संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन ("एएपीएसयू") पर खतरा है, जिनके बारे में बताया गया है कि वे शरणार्थी शिविरों पर आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं, जिससे राशन, चिकित्सा और आवश्यक सुविधाओं की आपूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कुछ चकमाओं की नाकाबंदी के कारण मृत्यु हो गई थी। इस न्यायालय ने आगे देखा कि चकमा नागरिकता नियम, 1956 के भाग ii द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दाखिल करके नागरिकता अधिनियम की धारा 5(1)(ए) को लागू कर सकते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ एनएचआरसी मामले (सुप्रा) में टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं इस प्रकार हैः-

> "18. हमने यहां पहले जो कहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि चकमा जो 1964 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से चले गए थे, पहले असम राज्य में बस गए और फिर उन क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गए जो अब अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। वे पिछले लगभग ढाई दशकों से वहीं बसे हुए हैं और अपने परिवारों का पालन-पोषण उक्त राज्य में करते हैं। उनके बच्चों की शादी हो चुकी है और उनके भी

बच्चे हैं। इस प्रकार, उनमें से बड़ी संख्या में लोग राज्य में ही पैदा हुए। अब इन्हें बलपूर्वक उखाड़ने का प्रस्ताव है। AAPSU उन्हें जबरन पड़ोसी राज्य में खदेड़ने की धमकियां दे रहा है, जो बदले में उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। पड़ोसी राज्य के निवासियों ने उन्हें उनके राज्य में घुसने की कोशिश करने पर जान से मारने की धमकी भी दी है. इस प्रकार वे दो ताकतों के बीच फंस गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विपरीत दिशा में धकेल रही है जो केवल उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। विनाश की संभावना को देखते हुए एनएचआरसी का रुख किया गया, जिसने उन्हें सुरक्षा प्रदान करना असंभव पाते हुए कुछ राहतों के लिए इस न्यायालय का रुख किया।

19. राज्य में अपने लंबे समय तक रहने के कारण,जो चकमा राज्य में आ गए और जो राज्य में पैदा हुए, वे अधिनियम की धारा 5 के साथ पढ़े जाने वाले संविधान के तहत नागरिकता चाहते हैं । हम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 5 की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। ऐसे अनुरोधों को संसाधित करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमों के

भाग II में उल्लिखित की गई है। हमने यहां पहले भी प्रासंगिक नियमों का उल्लेख किया है। इन नियमों के अनुसार, पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में विधिवत पुष्टि के साथ उस कलेक्टर को करना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है। आवेदन प्राप्त होने के बाद, किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार नियमों के नियम 8 के तहत नामित अधिकारी में निहित है। नियम 9 के तहतए कलेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि वह अधिनियम की धारा 5(1)(ए) के तहत प्रत्येक आवेदन को केंद्र सरकार को भेजे। नियम 8 और 9 को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि कलेक्टर को केवल आवेदन प्राप्त करना है और इसे केंद्र सरकार को अग्रेषित करना है। नियम 8 के तहत गठित प्राधिकरण ही किसी व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने का अधिकार रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल वही प्राधिकारी अधिनियम की धारा 5 के तहत किए गए आवेदन पर विचार करने से इनकार कर सकता है। फिर भी यह एक स्वीकृत तथ्य है कि आवेदन प्राप्त होने के बादए डिप्टी कलेक्टर (डीसी) जांच करता है और यदि रिपोर्ट प्रतिकूल होती है, तो डीसी आवेदन को अग्रेषित करने

से इंकार कर देता है; दूसरे शब्दों में, वह आवेदन को शुरुआत में ही अस्वीकार कर देता है और इसे केंद्र सरकार को अग्रेषित नहीं करता है। केंद्र सरकार की शिकायत यह है कि चूंकि डीसी आवेदनों को अग्रेषित नहीं करता है, इसलिए वह यह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है कि व्यक्ति को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाए या नहीं। इसीलिए यह कहा जाता है कि आवेदन प्राप्त करने वाले डीसी या कलेक्टर को इसे केंद्र सरकार को अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए ताकि वह योग्यता के आधार पर अनुरोध पर निर्णय ले सके। स्पष्ट है कि चकमाओं के आवेदनों को केंद्र सरकार को अग्रेषित करने से इनकार कर डीसी अपने कर्तव्य में विफल हो रहे हैं और केंद्र सरकार को अधिनियम और नियमों के तहत अपना कर्तव्य निभाने से भी रोक रहे हैं।

20. हम कानून के शासन द्वारा शासित देश हैं। हमारा संविधान प्रत्येक मनुष्य को कुछ अधिकार तथा नागरिकों को कुछ अन्य अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का हकदार है। इसी प्रकार, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत

स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार राज्य प्रत्येक मनुष्य के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बाध्य है, व्यक्तियों के समूह, जैसे कि AAPSU, को चकमाओं को राज्य छोड़ने की धमकी देने की अनुमति नहीं दे सकता है, ऐसा न करने पर उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा. कोई भी राज्य सरकार व्यक्तियों के एक समूह द्वारा दूसरे व्यक्तियों के समूह को दी जाने वाली ऐसी धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती; खतरे में पड़े समूह को ऐसे हमलों से बचाना उसका कर्तव्य है और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहेगा। ऐसी धमकियां देने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। राज्य सरकार को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और स्थानीय राजनीति से बाधित हुए बिना राज्य में रहने वाले चकमाओं के जीवन, स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा, उनके आवेदनों को अग्रेषित करने से इनकार करके, चकमाओं को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने पर विचार करने के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है।"

4. तदनुसार, अरुणाचल प्रदेश राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया गया था कि राज्य में रहने वाले चकमाओं के जीवन और स्वतंत्रता को AAPSU जैसे संगठित समूहों द्वारा उन्हें बेदखल करने के किसी भी प्रयास से सुरक्षित रखा जाए और उनके आवेदन केंद्र सरकार को भेजे जा सकें।

5. याचिकाकर्ताओं का मामला यह भी है कि इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश के आदिवासियों के एक संगठन द्वारा दायर संशोधन और 1997 की रिट याचिका (सी) संख्या 593 के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य के आवेदन को भी खारिज कर दिया गया था। इस न्यायालय के फैसले के खिलाफ 1998 की रिट याचिका संख्या 13 नामक एक अन्य रिट याचिका 9 दिसंबर, 2002 को खारिज कर दी गई थी। इसके बाद नागरिकता के लिए आवेदन दायर किए गए थे लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इस न्यायालय के फैसले के आलोक में भारत के चुनाव आयोग ने 3 मार्च, 2004 को आदेश पारित कर याचिकाकर्ताओं को सुविधाओं के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा पारित 14 मई, 2003 के प्रस्ताव को असंवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन राज्य के अधिकारियों ने अरुणाचल प्रदेश ने नागरिकता नियमों के नियम 9 के तहत आवश्यक आवेदनों को केंद्र सरकार को नहीं भेजा था।

6. भारत संघ द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा सीधे प्राप्त आवेदन अरुणाचल प्रदेश सरकार को भेज दिए गए थे, जिन्हें नकारात्मक सिफारिशों वाले कुछ आवेदनों को छोड़कर वापस नहीं किया गया था। उक्त आवेदन अरुणाचल प्रदेश सरकार को वापस लौटा दिये गये। गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को इस न्यायालय के फैसले के अनुपालन में कार्य करने की सलाह दी थी।

7. अरुणाचल प्रदेश राज्य का रुख यह है कि चकमा और हाजोंग शरणार्थियों के जीवन और स्वतंत्रता को कोई खतरा नहीं है। इस न्यायालय का निर्णय प्राप्त होने के बाद, निर्णय को पुलिस महानिरीक्षक, संबंधित जिलों के उपायुक्तों और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रसारित किया गया। राज्य सरकार इस न्यायालय के निर्देश से पूरी तरह बंधी हुई थी और उसने इसके अनुपालन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे। अरुणाचल प्रदेश राज्य को 4382 आवेदन प्राप्त हुए थे। हालाँकि मूल आदिवासियों की लोकप्रिय भावना अलग थी, अरुणाचल प्रदेश राज्य इस न्यायालय के आदेश का सम्मान कर रहा था। आगे अभिनिर्धारित किया गया है कि चकमा और हाजोंग जनजातियाँ 1964 से 1969 तक नेफा में बसी थीं, जब अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोई निर्वाचित निकाय नहीं थे। अरुणाचल प्रदेश राज्य में लागू कानून जैसे भारत सरकार अधिनियम 1870 ए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, अनुसूचित जिला अधिनियम 1874, असम फ्रंटियर

ट्रैक्ट रेगुलेशनए 1880, असम फ्रंटियर फॉरेस्ट रेगुलेशन 1891, चिन हिल्स रेगुलेशनए 1896 और असम फ्रंटियर (न्याय प्रशासन) रेगुलेशन 1945 (1945 का 1) को ध्यान में नहीं रखा गया। एक हजार चार सौ सत्तानवे चकमाओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया है।

8. याचिकाकर्ताओं ने एक प्रत्युत्तर हलफनामा दायर कर आरोप लगाया है कि चकमा और हाजोंग के बच्चों को शैक्षिक सुविधाओं से वंचित किया गया है। वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में नहीं आ रहे थे। उन्होंने 10 वीं लोकसभा और राज्यसभा की याचिका समिति के समक्ष भी एक याचिका प्रस्तुत की। उक्त समिति ने 14 अगस्त, 1997 को प्रकाशित अपनी 105 वीं रिपोर्ट में चकमाओं को भारतीय नागरिकता देने की सिफारिश की थी लेकिन उक्त सिफारिश पर कार्रवाई नहीं की गई। सिफ़ारिश इस प्रकार हैः

"42. समिति इसलिए सिफारिश करती है कि अरुणाचल प्रदेश के चकमा जो 25.3.1971 से पहले वहां आए थे, उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि जो चकमा भारत में पैदा हुए हैं, उन्हें भी भारतीय नागरिकता के लिए विचार किया जाना चाहिए। समिति आगे सिफारिश करती है कि 25.3.1971 के बाद राज्य में आए उन चकमाओं के भाग्य पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चर्चा और निर्णय लिया जाए। समितियाँ यह भी सिफारिश

करती है कि नागरिकता के लिए चकमाओं के सभी पुराने आवेदन जिन्हें या तो उपायुक्तों या राज्य उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है या रोक दिया गया है, ऐसे आवेदनों को केंद्र सरकार को अग्रेषित करना जारी रखेंए केंद्र सरकार इस पर विचार कर सकती है नियमों (या अधिनियम के अनुसार दो आवश्यक) में आवश्यक प्रावधान शामिल करें जिससे वह अरुणाचल प्रदेश के चकमास के 23 मामलों में नागरिकता के लिए आवेदन सीधे प्राप्त कर सके, उस पर विचार कर सके और उस पर निर्णय ले सके। समिति यह भी सिफारिश करती है कि नागरिकता प्रदान करते समय चकमाओं को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर भी विचार किया जाए। समिति केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करना चाहती है कि जब तक सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकल जाता, तब तक चकमाओं को पूरी सुरक्षाए सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अरुणाचल प्रदेश में रहने की अनुमति दी जाए।"

9. जब मामला 1 अगस्त, 2012 को इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः-

> "प्रत्यर्थी क्रमांक 5 के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बी भट्टाचार्य और प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 4 के विद्वान वकील श्री अनिल श्रीवास्तव ने निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ समय की प्रार्थना की और यह भी सुनिश्चित किया कि

रिट याचिका में उठाया गया विवाद समाप्त हो जाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हाथों जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा।"

10. पुनः 28 अगस्त, 2012 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः

"प्रत्यर्थी संख्या 5- भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बी. भट्टाचार्य का कहना है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय में चकमाओं के संबंध में नागरिकता प्रदान करने के लिए प्राप्त सभी 4637 आवेदन राज्य को वापस कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में उपयुक्त प्राधिकारी को नहीं किये गये थे और वैधानिक आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार की सिफारिशों के साथ भी नहीं थे।

इस न्यायालय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य, (1996) 1 एससीसी 742, और उसमें निहित निर्देश को ध्यान में रखते हुए हम अरुणाचल प्रदेश राज्य को केंद्र सरकार द्वारा राज्य को लौटाए गए 4637 आवेदनों के संबंध में इस न्यायालय में एक व्यापक रिपोर्ट/शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश देते

हैं। प्रत्येक आवेदन के संबंध में सरकार निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेंः-

(i) क्या नागरिकता अधिनियमए 1955 (संक्षेप में, 'अधिनियम') की धारा 5 के प्रासंगिक खंडों में निर्धारित शर्तें संतुष्ट हैं;

(ii) क्या आवेदक का इरादा भारत को अपना स्थायी घर बनाने का है;

(iii) क्या आवेदक ने अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट निष्ठा की शपथ पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(iv) क्या आवेदक अच्छे चरित्र का है और अन्यथा वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति है।

उपरोक्त रिपोर्ट/शपथ पत्र अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा आज से दो महीने के भीतर सचिव (राजनीतिक), अरुणाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

रिपोर्ट/शपथपत्र की एक प्रति याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को पहले ही दी जाएगी।"

11. 20 जनवरी 2014 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया :

> " मामले को 5 मई, 2014 को सूचीबद्ध करें, ताकि भारत सरकार के आदेश संख्या 13/2/2010-एनई-II दिनांक 10/08/2010 के तहत गठित संयुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति को मामले में हुई प्रग्रति का रिकॉर्ड पर रखने के लिए सक्षम बनाया जा सके।
>
> हमें यकीन है कि समिति हर संभव प्रयास करेगी ताकि उसे सौंपा गया कार्य सुनवाई की अगली तारीख से पहले पूरा हो जाए।"

12. अतिरिक्त हलफनामा दिनांक 2 जनवरी, 2013 को अरुणाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय (एनई डिवीजन) ने संयुक्त सचिव (एनई), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। पात्र चकमा/हाजोंगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की संभावना सहित अरुणाचल प्रदेश में चकमा/हाजोंग के निपटान से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच करने के लिए 10 अगस्त, 2010 को समिति गठित की। समिति ने 9 जनवरी, 2012 को अपनी बैठक की और कुछ निर्णय लिये। इस

प्रकार, इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा थाए हालांकि मामले में कोई देरी नहीं हुई थी।

13. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

14. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि एनएचआरसी मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा उनके अधिकारों को विधिवत स्वीकार किया गया है। फिर भी, नागरिकता का उनका वैध अधिकार अब तक पूरा नहीं हुआ है। भारत सरकार के उच्चतम स्तर पर एक सचेत निर्णय के बाद उनका निपटारा किया गया है। उनके साथ विदेशी जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। उन्होंने 2010 की जनहित याचिका संख्या 52 में "ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (एएपीएसयू) बनाम भारतीय चुनाव आयोग" शीर्षक से गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 19 मार्च, 2013 के फैसले पर भरोसा जताया है, जिसमें एएपीएसयू द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया गया था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उन क्षेत्रों के संबंध में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जहां चकमा और हाजोंग की पर्याप्त उपस्थिति है। उक्त निर्णय मेंए भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी 23 मार्च, 2005 के ज्ञापन और 1 जनवरी, 2007 को अर्हता तिथि के संदर्भ में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए 3 अक्टूबर, 2007 के आगे के

दिशानिर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। वैध इनर लाइन पास के अभाव में चकमाओं को अरुणाचल प्रदेश के सामान्य निवासियों के रूप में माने जाने के खिलाफ आपत्ति पर भी विचार किया गया। भारत के चुनाव आयोग ने 2000 के डब्लूपी संख्या 886 (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत के चुनाव आयोग और अन्य) में 28 सितंबर, 2000 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में दिशानिर्देशों के साथ अपने दिशानिर्देशों का समर्थन किया।

15. गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले में, यह नोट किया गया था कि देश में घुसपैठ करने वाले उन अवांछित अवैध प्रवासियों के विपरीत, चकमा अपने विस्थापन के कारण भारत में चले गए और भारत सरकार उन्हें नागरिकता देने पर सहमत हुई। इन परिस्थितियों में, भारत सरकार के दिशानिर्देशों को उचित माना गया और इनर लाइन परमिट की किसी भी आवश्यकता की आवश्यकता नहीं थी। प्रासंगिक टिप्पणियाँ है:

> "[18] ..... उन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें एनआरएचसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी उजागर किया गया है, हमारा विचार है कि ये अतिरिक्त दिशानिर्देश, विशिष्ट परिस्थितियों में जारी किए गए हैं, इन्हें वैध नहीं ठहराया जा सकता है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों के परामर्श से चकमा शरणार्थियों को विभिन्न राज्यों और अरुणाचल प्रदेश में बसाने और भारतीय नागरिकता प्रदान करने के नीतिगत निर्णय के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों में इनर लाइन परमिट की कमी या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के प्रावधानों के उल्लंघन के संदर्भ में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने का प्रभाव नहीं है। हमारा विचार है कि एक बार अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों के परामर्श से इन चकमा शरणार्थियों को अरुणाचल प्रदेश में बसाने का निर्णय ले लिया गया, तो वे अरुणाचल प्रदेश के निवासी बन जाएंगे और उन्हें इनर लाइन परमिट/पास की आवश्यकता नहीं होगी। अन्यथा भी, एक बार जब उन्हें अरुणाचल प्रदेश में बसने की अनुमति दे दी गई, तो यह माना जाएगा कि उन्हें ऐसे परमिट दिए गए थे और हमारी सुविचारित राय में, कोई भी अन्य दृष्टिकोण भारत सरकार द्वारा किए परामर्श से लिए गए नीतिगत निर्णय को अस्वीकार और विफल कर देगा। इन चकमाओं को अरुणाचल प्रदेश में बसाने के लिए अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों के साथ।

इसी प्रकार, याचिकाकर्ताओं की अन्य दलील कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के दिशानिर्देश के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे, को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि चकमाओं ने अपने घरों और घरों से उखाड़ दिए जाने और उत्पीड़न से बचने के लिए भागने के बाद संकट और कठिन परिस्थितियों में इस देश में शरण ली थी। इसके अलावा, बाद में, अरुणाचल प्रदेश में बसने की अनुमति मिलने के बाद, उन्हें पड़ोसी स्थानीय आबादी से कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिस पर एनएचआरसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जैसा कि ऊपर बताया गया है। इसलिए, जहां इन चकमाओं को आधिकारिक तौर पर बसाया गया था, वहां मतदाता सूची में नामांकन के उद्देश्य से अन्य विश्वसनीय सामग्रियों के आधार पर दावेदारों के जन्म के सत्यापन के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी करने में केवल तकनीकी आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के कुछ प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया गया है, यदि साक्ष्य अन्यथा विश्वसनीय और भरोसेमंद हैं।

हमारा विचार है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त दिशानिर्देश केवल उन चकमाओं को इस देश के नागरिक के रूप में ऐसे लाभों का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए हैं, जिनमें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करके वोट देने का अधिकार भी शामिल है। एक बार, इन चकमा शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान कर दी गई है, तो वे इस देश के नागरिक बनने पर मिलने वाले सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों का आनंद लेने के हकदार हैं और इसके अलावा, वे इस देश के नागरिक के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा पाने के हकदार हैं।"

16. हमें याचिकाकर्ताओं के तर्क में दम नजर आता है। भारत सरकार के रुख के आधार पर इस न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि चकमाओं को पालन की जाने वाली प्रक्रिया के अधीन नागरिकता प्रदान करने का अधिकार है। न्यायिक निर्णयों में भी यह माना गया है कि उन्हें कोई इनर लाइन परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे अरुणाचल प्रदेश राज्य में बसे हैं।

17. अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाम खुदीराम चकमा (1994) Supp. 1 scc 615 में, इस न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास को इस प्रकार नोट किया :

"41. पहाड़ी और बहुआदिवासी उत्तर-पूर्वी सीमांत क्षेत्र, जिसे अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, का इतिहास सैकड़ों वर्षों से परंपरा और पौराणिक कथाओं की धुंध में छिपा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार, राजा भीष्मक की बेटी रुक्मिणी को उनके विवाह की पूर्व संध्या पर स्वयं भगवान कृष्ण ले गए थे। भालुकपुंग में किले के खंडहरों पर अकास का दावा है कि यह उनके पूर्वज भालुका का मूल घर है, जो बाना राजा के पोते थे, जिन्हें तेजपुर (असम) में भगवान कृष्ण ने हराया था। एक कलिता राजा, रामचंद्र, असम के मैदानी इलाकों में अपने राज्य से निष्कासित होकर, डफला (अब निशंग) की तलहटी में भाग गए और वहां मायापुर की अपनी राजधानी स्थापित की, जिसकी पहचान ईटा पहाड़ी पर खंडहरों से की जाती है। लोहित नदी की खूबसूरत निचली पहुंच में महान पवित्र स्थानए ब्रह्मकुंडए जहां परसुराम ने अपनी शक्तिशाली कुल्हाड़ी के एक ही वार से पहाड़ियों के बीच से रास्ता खोल दिया था, आज भी देश भर से हिंदू तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है।

18. उपरोक्त इतिहास प्राचीन काल से देश के बाकी हिस्सों के साथ अरुणाचल प्रदेश राज्य के अभिन्न संबंध को दर्शाता है। यह सर्वविदित है

कि चकमा और हाजोंग उस क्षेत्र से विस्थापित हो गए थे जो कप्ताई बांध के निर्माण के कारण पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश में) का हिस्सा बन गया था और भारत सरकार के निर्णय के तहत उन्हें पुनर्वास की अनुमति दी गई थी। जैसा कि पहले इस न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और गौहाटी उच्च न्यायालय ने माना थाए उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है और नागरिकता के उनके दावों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार विचार करने की आवश्यकता है। नागरिकता के अधिकार मिलने तक उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। उनकी स्थिति को भारत के चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों में भी विधिवत स्वीकार किया गया है।

19. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत सरकार इस मामले में ईमानदारी से उचित कदम उठाएगीए कुछ और समय दिया गया है।

20. तदनुसार, हम इस याचिका को स्वीकार करते हैं और भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश राज्य को पात्र चकमाओं और हाजोंगों को नागरिकता अधिकार प्रदान करने को अंतिम रूप देने और इस आदेश के पहले भाग में संदर्भित न्यायिक निर्णयों में किए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं। उनके जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए और किसी भी तरह से उनके भेदभाव के खिलाफ। यह अभ्यास

यथाशीघ्र, अधिमानतः आज से तीन महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी नाथ (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।